न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–15/2023

मनीरूल हक उर्फ म0 एकबाल..वादी

बनाम

पुनीता देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.07.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 की तरफ से ब्यान तहरीरी ग्रहण करने हेतु दिनांक 29.08.2025 को एक आवेदन दाखिल किया गया जिसका प्रतिउत्तर वादी के द्वारा दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख आज दिनांक 04.07.2026 को प्रतिवादीगण के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद मुदालह सं0–02 आपस में मुदई से बातचीत करके विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहा था जो असफल हो गया जिसके कारण मुदालह स0–02 विलम्ब से ब्यान तहरीरी दाखिल किए है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 से मुदालह को ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया है जिसे न्यायहित में वापस लेकर मुदालह का ब्यान तहरीरी स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। मुदालह के द्वारा जान बूझकर विलम्ब नहीं किया गया है बल्कि उपरोक्त कारणवश विलम्ब हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 को वापस लेते हुए मुदालह के द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की कृपा किया जाए। वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–01 की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.08.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 को वापस लेते हुए मुदालह के द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–15/2023

मनीरूल हक उर्फ म0 एकबाल..वादी

बनाम

पुनीता देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **04.07.2026**	को ग्रहण करने की कृपा किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित आदेश दिनांक 31.01.2024 को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 29.08.2025 को मो0–1000/– रू0 हर्जे की राशि पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 08.09.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	